



Rajesh Bhushan, I.A.S.
State Project Director

कार्यालय आदेश

विषय : राज्य संसाधन दल एवं जिला संसाधन दल के सदस्यों के मानदेय में वृद्धि के संबंध में।

बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा कई तरह के भिन्न-भिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के क्रियान्वहन के लिए स्वीकृत प्रबंधन संरचना के तहत संविदा/प्रतिनियुक्त के आधार पर नियुक्त कार्मिकों के अतिरिक्त भी विभिन्न नवाचारी कार्यक्रमों के नीतिमूलक सिद्धांत गढ़ने तथा क्रियान्वयन नीति बनाने में विभिन्न विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / ख्याति प्राप्त संस्थानों / गैर सरकारी संस्थाओं / स्वतंत्र रूप से कार्यरत स्वयं सेवकों, सामुदायिक गतिविधियों में संलग्न समाजसेवियों, शोध एवं मूल्यांकन से जुड़े शोधार्थियों का पूर्व से सहयोग लिया जाना आवश्यक हो जाता है। इस कोटि में विभिन्न गतिविधियों के विशेषज्ञों एवं अनुभवी व्यक्तियों का मार्गदर्शन एवं परामर्श प्राप्त करने के लिए इन्हें सूचीबद्ध कर इनसे कार्य लेने का प्रावधान है। ऐसे राज्य एवं जिला संसाधन दल के सदस्यों को प्रक्रियागत तरीके से चिन्हित कर उन्हें सूचीबद्ध करने एवं एक माह में अधिकतम धीरा दिन कार्य लेने का प्रावधान है।

राज्य संसाधन दल के ऐसे सदस्यों के लिए सम्प्रति प्रतिदिन 500/- (रु०- पाँच सौ मात्र) मानदेय, अधिकतम 20 दिनों के लिए निर्धारित है यह राशि कार्यकारिणी समिति की दिनांक 18.08.07 को सम्पन्न बैठक में निर्धारित की गई थी। जबकि जिला संसाधन दल ने सदस्यों को सम्प्रति रु०- 200/- (रु०- दो सौ मात्र) प्रतिदिन मानदेय, अधिकतम 20 दिनों हेतु निर्धारित है, यह राशि कार्यकारिणी समिति की दिनांक 07.04.2005 को सम्पन्न बैठक में निर्धारित की गई थी। इस निर्धारण के बाद से अब तक इस राशि में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

सम्प्रति ऐसे सदस्यों द्वारा लगातार उनके मानदेय में वृद्धि का आग्रह किया जाता रहा है। कार्यकारिणी समिति की दिनांक 27.08.09 को सम्पन्न 61वीं बैठक में इस आलोक में निर्णय लेते हुए राज्य संसाधन दल के सदस्यों के पूर्व निर्धारित मानदेय रु०- 500/- मात्र प्रतिदिन में, रु०- 100/- प्रतिदिन की वृद्धि कर, रु०- 600/- (रु०- छः सौ मात्र) प्रतिदिन, अधिकतम बीस दिनों के लिए रु०- 12,000/- (रु०- बारह हजार मात्र) अधिकतम, तथा जिला संसाधन दल के लिए पूर्व निर्धारित मानदेय रु०- 200/- मात्र प्रतिदिन में, रु०- 100/- प्रतिदिन की वृद्धि कर रु०- 300/- मात्र (रु०- तीन सौ मात्र) प्रतिदिन अधिकतम 20 दिनों हेतु रु०- 6,000/- मात्र (रु०- छः हजार मात्र) करने पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

ह०/-

(राजेश भूषण)

राज्य परियोजना निदेशक

दिनांक 04.09.09

ज्ञापक : MGT/KPR/121/08-09/4652

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, सभी जिले, बिहार/जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं लेखाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना, सभी जिले को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उनसे आग्रह है कि इसे नियमावली के साथ गार्ड फाइल में संधारित करें।

राज्य परियोजना निदेशक